रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ. 3 (ख)( ) अलेसे–।।/ 20268-277 दिनांकः–04 मार्च 2014

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 241/2012–13 दिनांक 23.09.2013 में क्र.सं. 01 पर अंकित श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री डालचन्द, 87, रोज विला, सारस चौराहे के पास, भरतपुर (मेरिट नं. 130/2011, रोल नं. 202362, जन्मतिथि 10.07.1970) को लेखाकार के पद पर नियुक्ति दी जाकर उपकोषालय रेलमगरा जिला राजसमन्द में दिनांक 30 सितम्बर 2013 तक कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु श्री सिंह ने नियत तिथि तक अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया।

विभागीय आदेश संख्या 11791–800 दिनांक 18.11.2013 द्वारा श्री सिंह को 25 नवम्बर 2013 तक एवं पत्रांक 19107–19115 दिनांक 13 फरवरी 2014 द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए 24 फरवरी 2014 तक उपकोषालय रेलमगरा जिला राजसमन्द में कार्यग्रहण करने अथवा उनके नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाने हेतु लिखा गया किन्तु श्री सिंह द्वारा आदिनांक तक अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है।

विभागीय आदेशों की अनुपालना में कार्यग्रहण नहीं किए जाने के कारण श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री डालचन्द (मेरिट नं. 130/2011) का विभाग के आदेश संख्या 241/2012–13 दिनांक 23.09.2013 द्वारा जारी नियुक्ति आदेश एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक,
कोष एवं लेखा विभाग

क्रमांकः– एफ. 3 (ख)( ) अलेसे–।।/ 20268-277 दिनांकः–04 मार्च 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. उपकोषाधिकारी, उपकोषालय रेलमगरा जिला राजसमन्द।
4. श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री डालचन्द, 87, रोज विला, सारस चौराहे के पास, भरतपुर – 321001 **(रजिस्टर्ड)**
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
7. गोपनीय शाखा
8. रक्षित पंजिका/निजी पत्रावली

(के. एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–1)